सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

टेक्निकल बिड

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय
टी0 टी0 नगर न्यू मार्केट
भोपाल (मध्यप्रदेश)
पिन–462003

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय भोपाल
ई–टेन्डरिंग 5वी आमंत्रण निविदा सूचना

शीर्ष बैंक मुख्यालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखाओं, प्रशिक्षण संस्थान एवं आवासीय परिसरों तथा बैंक संपत्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन की सेवायें प्राप्त करने हेतु इच्छुक निविदाकारों से ऑन–लाइन निविदायें दो वर्ष की समयावधि के लिये आमंत्रित की जाती है । विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य जीएसटी सहित	निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक
1.	बैंक मुख्यालय शाखाओं एवं अन्य की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा गनमेन की सेवायें प्राप्त करने बाबत्.	80.00 लाख प्रतिवर्ष	5.00 लाख	5900.00	30.07.2021 3.00 बजे तक

1.निविदा की अन्य शर्तें वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक निविदाकार द्वारा उक्त वेबसाइट पर निविदा की शर्तों का अवलोकन कर निविदा प्रपत्र दिनाक 08.07.2021 से दिनांक 29.07.2021 तक कार्यालयीन समय में ऑन–लाइन भुगतान किया जाकर क्रय किया जा सकता है।

2. निविदा का विवरण वेबसाईट **www.apexbank.in** पर भी देखा जा सकता है ।

प्रभारी प्रबंध संचालक

निविदा की शर्तें :–

1.क कोई भी व्यक्ति/फर्म/सहकारी संस्थाऐं/कंपनी टेण्डर देने हेतु पात्र होगी। फर्म/कंपनी/सहकारी संस्थाऐं के संबंध में निम्नानुसार में से किसी एक में पंजीयन आवश्यक हैः–

अ फर्म एण्ड सोसायटी एक्ट, 1973

ब मध्यप्रदेश को–ऑप सोसायटी एक्ट 1960

स सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर / सेवानिवृत्त सोल्जर्स की समिति, जो विधिवत पंजीकृत हो ।

द कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी ।

ख. निविदाकर्ता का आयकरदाता होना आवश्यक है, उक्त के प्रमाणीकरण हेतु निविदाकर्ता को तीन वर्षो की आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन नं. (PAN) संलग्न करना आवश्यक होगा ।

ग. निविदाकर्ता का सेवाकर विभाग, ईपीएफ संस्थान, ईएसआईसी, जी.एस.टी. श्रम अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है । उपरोक्त के प्रमाणन हेतु संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

2. निविदा प्रपत्र दिनांक 08.07.2021 से दिनांक 29.07.2021 के मध्य निविदा प्रपत्र का शुल्क ऑन–लाइन जमा किया जाकर क्रय किया जा सकता है।

3. अमानत राशि रू.5.00 लाख का भुगतान सीधे http://www.mptenders.gov.in के माध्यम से किया जाना होगा ।

4. वे निविदाकार, जिनके द्वारा अपने कर्मचारियों का पिछले तीन वर्षों के ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान संबंधित संस्थान को किया गया है, निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगें । उक्त के प्रमाणन हेतु निविदाकार को संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा जारी पावती की प्रतियां संलग्न करनी होगी।

5. प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिकृत एजेंसी से वैद्य लायसेंस धारक ही निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगें । लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।

6. निविदाकर्ता को बैंक अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं में (कम से कम तीन संस्थाओं में) सुरक्षा प्रदाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव में शासकीय संस्था के साथ–साथ बैंक में सुरक्षा कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त लायसेंस के पश्चात् किये गये कार्य का ही अनुभव मान्य किया जायेगा ।

7. ऐसी फर्म/एजेंसीज जिनका गत तीन वर्षो का औसत टर्नओव्हर रू.5.00 करोड एवं उससे अधिक है वे ही निविदा में भाग लेने के पात्र होगें। इसके प्रमाणन हेतु पिछले तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगी । साथ ही पिछले तीन वर्ष की बैलेंस शीट भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

8. निविदायें ऑन लाईन प्रस्तुत की जायेगी ।

9. तकनीकी बिड दिनांक 04.08.2021 को दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी ।

10. क्वालीफाईड निविदाकारों की दर संबंधी निविदा 12.08.2021 सायं.4.00 बजे खोली जावेगी।

11. किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

प्रभारी प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, टी.टी. नगर भोपाल
सुरक्षा गार्ड की सेवायें प्राप्त करने हेतु निविदा
(टेक्निकल बिड हेतु निर्धारित फार्म)

1. निविदाकार का नाम ....
....
....

2. प्राईवेट सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीयन/ लायसेंस क्रमांक एवं दिनांक ....

3. निविदाकार का स्थायी पता/ पंजीकृत पता ....
....

दूरभाष नं. .... मो. नं...................
ई मेल...............................

4. निविदाकार का प्रकार प्रायवेट/ भागीदारी पब्लिक लिमि. अथवा अन्य ....
....
....
....

5. कार्य प्रारंभ दिनांक/पंजीयन विवरण (प्रति संलग्न करें) ....
....

6. मालिक/संचालक/ भागीदार का विवरण

क्रमांक	नाम	शैक्षणिक योग्यता	पद	पता	मो./ दूरभाष नं.

7. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण

क्रमांक	हस्ताक्षरकर्ता का नाम	पद	पता	दूरभाष क्रमांक

8. यदि शाखा है तो विवरण

9. सस्था में कार्यरत सुरक्षा गार्ड/गनमेन का विवरण
(सूची संलग्न करें) :–

नाम	शैक्षणिक योग्यता	आयु	सुरक्षा कार्य का प्रशिक्षण	अनुभव	लायसेंस क्रं. (गनमेन के लिये)

10. निविदाकार द्वारा अन्य विभागों में किये जा रहे कार्य का विवरणः–

क्रमांक	विभाग जहां कार्य कर रहे है ।	लगाये गये सुरक्षा गार्ड/गनमेन की संख्या	कब से कार्यरत है ।	आदेश क्रमांक दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

11 आयकर विवरणी :– पिछले तीन वर्ष का आयकर विवरणी देवें ।

12. टर्न ओव्हरः– पिछले तीन वर्ष का टर्न ओव्हर देवें:–

विवरण	वर्ष 2017–18	2018–19	2019–20
वार्षिक टर्न ओव्हर			

13 निविदाकार के निम्नानुसार पंजीयन की जानकारीः–
1. निविदाकार का पैन क्रमांक
2. निविदाकार का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर
3. निविदाकार का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर
4 निविदाकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम का रजिस्ट्रेशन नंबर
(उपरोक्त की सत्यप्रति संलग्न करें)।

14. संस्था के पंजीयन, पत्र की छायाप्रति संलग्न करें । पंजीयन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त लिमिटेड फर्म की स्थिति में आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशीप फर्म की स्थिति में पार्टनरशीप डीड एवं सहकारी संस्था होने की दशा में उपविधि की छायाप्रति संलग्न करें ।

15. क्या निविदाकार को किसी शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि हाँ तो कारण सहित विवरण दे । यदि निविदाकार

किसी भी संस्था/विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं है तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र संलग्न करें ।

16. क्या निविदाकार या उसके संचालकों के विरूद्ध किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में कोई वाद,आपराधिक प्रकरण लंबित है? यदि हाँ तो विवरण दें । यदि निविदाकार या उसके संचालको के विरूद्ध किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकरण में कोई वाद/आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र संलग्न करें ।

17. निविदाकार द्वारा दर्शाये अनुभव के संबंध में प्रमाणपत्र की छायाप्रतियां संलग्न करें ।

18 निविदाकार द्वारा संस्था के कर्मचारियों के ईपीएफ ईएसआईसी के पिछले तीन वर्षो के भुगतान के संबंध में प्रमाण पत्र (फार्म 6–ए की प्रति संलग्न करें)।

19 जी.एस.टी. भुगतान के संबंध मे प्रमाण पत्र ।

घोषणा

मैं/हम प्रमाणित करते है कि उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है ।

मैं/हम यह कथन करते है कि यदि बैंक उपरोक्त जानकारी को अपने स्तर से परीक्षण करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और यदि भविष्य में दी गयी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो उसके लिये हम व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें, और इस आधार पर हमारी निविदा निरस्त की जा सकेगी ।

मैं/हम यह कथन करते है कि यदि बैंक द्वारा हमारे प्रीक्वालीफिकेशन फार्म को निरस्त किया जाता है तो हमारे द्वारा बैंक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही/हानि की मांग नहीं की जावेगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

1...

2...

संलग्नः–

1

2

3

4

5

6
7

<u>मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,</u>

<u>सामान्य नियम एवं शर्ते</u>

1. सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन की सेवायें प्रदान करने हेतु निविदां दो वर्ष तक वैध होगी । इस समयावधि में संतोष जनक कार्य करने एवं उभय पक्षों की सहमति से समय में एक बार वृद्धि की जा सकेगी।
2. निविदाकार द्वारा दी गई दरें निविदा खोलने के दिनांक से 3 माह हेतु वैध होगी। दरों की वैधता अवधि में कार्यादेश स्वीकार नही करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा बैंक के पास जमा की गई अमानत राशि /EMD राजसात की जावेगी ।
3. निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के समर्थन में किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जावेगा ।
4. सफल निविदाकार द्वारा शीर्ष बैंक मुख्यालय, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखाओं, प्रशिक्षण संस्थान एवं आवासीय परिसरों में सुरक्षा गार्ड की सेवायें उपलब्ध कराई जावेगी । उक्त के अतिरिक्त बैंक द्वारा निर्देशित सुरक्षा संबंधी कार्य भी निविदाकार द्वारा पूर्ण कराया जावेगा ।
5. सेवा प्रदाता द्वारा आवश्यकतानुसार सप्ताह के सातों दिवस हेतु सेवाएं प्रदान करना होंगी ।
6. निविदाकार का निम्नानुसार विभागों/प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य होगाः–
   1. प्रायवेट सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीयन/लायसेंस
   2. आयकर विभाग में
   3. केन्द्रीय सेवाकर (जीएसटी)विभाग में
   4. ईपीएफ विभाग में
   5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम में
7. <u>निविदाकार द्वारा सुरक्षा हेतु नियुक्त किए जाने वाले गार्ड्स/गनमेन की पूर्ण जानकारी प्रथम पक्ष को दी जाना अनिवार्य होगा । नियुक्त किए जाने वाले गार्ड का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाकर पुलिस विभाग द्वारा जारी वेरीफिकेशन रिपोर्ट की प्रति निविदाकार द्वारा बैंक को उपलब्ध कराना होगी । प्रत्येक सुरक्षा गार्ड/गनमेन का वर्ष में एक बार सत्यापन कराना आवश्यक होगा ।</u>
8. निविदादाता द्वारा बैंक को प्रदाय किये गये कर्मचारी का ईपीएफ एवं ईएसआईसी का भुगतान, संबंधित शासकीय विभागों को किया जावेगा एवं वर्तमान माह के देयक के साथ पिछले माह में उक्त संबंधित भुगतान से संबंधित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराना होगें ।
9. निविदादाता द्वारा बैंक के आदेशित स्थानो पर आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अर्हता धारित सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना होगें । सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय प्रमुख के आदेशानुसार दिन/रात्रि में निर्देशित कार्य करना होगा ।

10. बैंक द्वारा निविदा कार्यादेश जारी किये जाने के दिनांक से आगामी 7 दिवस में निविदादाता द्वारा निर्देशित स्थानों पर सुरक्षा कर्मी पदस्थ कर दिये जायेगें। सुरक्षा हेतु पदस्थ किये जाने वाले सुरक्षा गार्ड/गनमेन प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अनुसार प्रशिक्षित होना चाहिये । सुरक्षा गार्ड द्वारा निम्नानुसार अर्हताएं धारित किया जाना आवश्यक होगा :–

क. वह भारत का नागरिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

ख उसने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु पचपन वर्ष की आयु प्राप्त न की हो । साथ ही कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।

ग उसने प्रायवेट सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अधीन निर्धारित एजेंसी (अभिकरण) को अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समाधान कर दिया हो ।

घ उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे ।

ड. वह ऐसे शारीरिक मापदंडों एवं अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं, पूर्ण करता हो ।

च. तैनात किये जानेवाले सुरक्षागार्ड/गनमेन के बैंक खाते की जानकारी देना होगी ।

11. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षा कर्मी को बैंक द्वारा अक्षम पाये जाने पर निविदादाता द्वारा 2 कार्यालयीन दिवसों में उसके स्थान पर नया सुरक्षाकर्मी पदस्थ किया जावेगा ।

12. कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 7 दिवस तक निविदादाता द्वारा सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति नहीं किये जाने की दशा में, अथवा सुरक्षागार्ड, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में वेतन के अतिरिक्त प्रतिदिन रू.200.00 की दर से कटोत्रा किया जायेगा । यह कटोत्रा देयक अथवा देय राशि में से या अमानत राशि में से किया जा सकेगा ।

13. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षागार्ड द्वारा बैंक की संपत्ति/स्कंध को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाना सिद्ध होने पर निविदादाता द्वारा संबंधित नुकसान की तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भरपायी की जावेगी ।

14. निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि सुरक्षागार्ड को **न्यूनतम वेतन एक्ट** के प्रावधान के अनुसार प्रति माह की 7 तारीख के पूर्व वेतन का भुगतान किया जा रहा है । इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न किया जाना होगा ।

15. बैंक द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर सुरक्षागार्ड की संख्या बढ़ायी जाती है तो उस स्थिति में निविदादाता को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा । उसी प्रकार यदि बैंक द्वारा सुरक्षागार्ड की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तद्नुसार दरों पर ही किया जावेगा ।

16 अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा निविदाकार के कर्मचारियों के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा ।एजेंसी को सुरक्षा गार्ड/गनमेन के न्यूनतम वेजेज नियमानुसार

ईपीएफ कन्ट्रीब्यूशन, ईएसआईसी, जीएसटी एवं सर्विस चार्ज (जो निविदा में दी गयी है) के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जायेगा ।

17 निविदादाता द्वारा प्रतिमाह के देयक के साथ विगत माह कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी मद में जमा राशि से संबंधित बैंक चालान की प्रति तथा प्रत्येक कर्मचारी की सूची प्रस्तुत की जावेगी । उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर ही बैंक द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा ।

18. निविदादाता द्वारा बैंक को उपलब्ध कराये गये गार्ड्स के वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाना होगा ।

19 बैंक, दो माह की लिखित सूचना के आधार पर अनुबंध निरस्त कर सकता है। अनुबंध निरस्ती की सूचना अनुबंध में दर्शित पते पर दी जावेगी, जिसे विधिवत सूचित किया जाना मान्य किया जावेगा ।

20. किसी भी सुरक्षागार्ड/गनमैन से दोहरी ड्यूटी (डबल ड्यूटी) सामान्यतः नहीं कराई जावेगी । विशेष परिस्थितियों में डबल ड्यूटी कराई जा सकेगी परन्तु उक्त डबल ड्यूटी एक माह में 12 दिवस से अधिक नहीं होना चाहिये । साथ ही डबल ड्यूटी निरंतर 5 दिवसों से अधिक नहीं कर सकेगा ।

21. बैंक द्वारा सुरक्षागार्ड/गनमेन की उपस्थिति का सत्यापन कराया जायेगा एवं सत्यापन के आधार पर संस्था के देयक का भुगतान किया जायेगा ।

22. सभी सुरक्षागार्ड/गनमेन का वर्ष में एक बार मेडीकल चेकअप सेवा प्रदाता के व्यय पर कराना आवश्यक होगा । साथ ही सुरक्षागार्ड/गनमेन का पुलिस सत्यापन भी कराया जाना आवश्यक होगा । मेडीकल चेकअप एवं पुलिस सत्यापन संबंधी जारी मूल प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष की प्रारंभ में प्रस्तुत करनी होगी ।

23. बैंक मुख्यालय, भोपाल स्थित अन्य परिसर एवं प्रदेश स्थित बैंक शाखाओं/भवन, जहां सुरक्षा गार्ड तैनात किये जाना हैं, की जानकारी पृथक से संलग्न है । इस पत्रक में दर्शाये गये सुरक्षागार्ड/गनमेन की संख्या में समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। इस परिवर्तन के आधार पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग स्वीकार नहीं की जावेगी ।

24. इस अनुबंध में उल्लिखित कंडिकाओं की व्याख्या का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।

25. इस अनुबंध एवं कार्य से संबंधित उत्पन्न किसी भी विवाद का निराकरण पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा, जो उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

हस्ताक्षर निविदाकार

गवाह

अनुबंध

यह अनुबंध म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (जिसे आगे प्रथम पक्ष के रूप में जाना जायेगा) तथा सफल निविदाकार (जिसे आगे द्वितीय पक्ष के रूप में जाना जायेगा) के मध्य आज दिनांक ....को .... में निष्पादित हुआ ।

अनुबंध, निम्नानुसार शर्तों के अधीन होगा :–

प्रथम पक्ष द्वारा अपने मुख्यालय, एवं म.प्र. के विभिन्न शहरों में कार्यरत शाखाओं में सुरक्षा कार्य हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों की सेवायें प्राप्त करने हेतु निविदा सूचना जारी की गई थी एवं प्राप्त निविदाओं में चयनित होने पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निविदा का स्वीकृति पत्र जारी किया गया है ।

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सुरक्षागार्ड / गनमेन की सेवाएं प्राप्त करने हेतु जारी निविदा दस्तावेज, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय बिड एवं प्रथम पक्ष द्वारा जारी कार्यादेश इस अनुबंध के अविभाज्य भाग होगें ।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को आदेशित स्थानों पर कक्षा आठवीं उत्तीर्ण एवं अन्य अर्हताएं धारित करने वाले सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान की जावेंगी। सुरक्षागार्ड / गनमेन को प्रथम पक्ष के आदेशानुसार दिन / रात्रि में निर्देशित स्थान पर कार्य करना होगा।
3. प्रथम पक्ष द्वारा लिखित में कार्यादेश दिये जाने की सूचना द्वितीय पक्ष को प्रदान किये जाने के 7 दिवसों में द्वितीय पक्ष द्वारा वांछित सुरक्षागार्ड / गनमेन निर्देशित स्थानों पर पदस्थ कर सूचित किया जावेगा । श्रम नियमों का पालन करना एजेंसी की जवाबदारी होगी तथा श्रम नियम के अनुसार सुरक्षा गार्ड / गनमेन को साप्ताहिक अवकाश निविदाकर्ता को देना होगा एवं वैकल्पिक गार्ड की व्यवस्था करने की जवाबदारी एजेंसी की होगी। बैंक द्वारा इस वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षागार्ड / गनमेन प्रथम पक्ष द्वारा अक्षम पाये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा 2 कार्यालयीन दिवस में उनके स्थान पर अन्य सुरक्षागार्ड / गनमेन पदस्थ किये जायेगें ।
5. कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 7 दिवस में वांछित संख्या में सुरक्षागार्ड / गनमेन के नियुक्त न होने की स्थिति में जारी कार्यादेश प्रथम पक्ष द्वारा निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।
6. प्रथम पक्ष द्वारा निरीक्षण के दौरान सुरक्षागार्ड / गनमेन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में प्रतिदिन राशि रू..200.00 की दर से द्वितीय पक्ष को देय राशि से अथवा जमा अमानत राशि से कटौत्रा कर लिया जावेगा ।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षागार्ड / गनमेन द्वारा प्रथम पक्ष की संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाना सिद्ध होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा

संबंधित नुकसान का तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भरपायी की जावेगी ।

8. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षा गार्ड 18 वर्ष से अधिक व 55 वर्ष से कम आयु के होना चाहिये ।

9. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान के अनुसार प्रति माह की 7 तारीख के पूर्व वेतन का भुगतान किया जा रहा है, इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

10. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ायी जाती है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा । उसी प्रकार यदि प्रथम पक्ष द्वारा सुरक्षा गार्ड की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तद्नुसार ही किया जावेगा ।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को प्रदाय किये गये सुरक्षागार्ड/गनमेनों के लिए ईपीएफ, ईएसआईसी का नियमित भुगतान संबंधित शासकीय विभागों को किया जावेगा एवं प्रति माह के देयक के साथ उक्त भुगतानों से संबंधित दस्तावेज प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जावेंगे । सुरक्षागार्ड/गनमेनों हेतु ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा अन्य की अदायगी के संबंध में प्रथम पक्ष का कोई दायित्व नहीं होगा ।

12. अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा निविदाकार के कर्मचारियों के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा ।एजेंसी को सुरक्षा गार्ड/गनमेन के न्यूनतम वेजेज नियमानुसार ईपीएफ कन्ट्रीब्यूशन, ईएसआईसी, जीएसटी एवं सर्विस चार्ज (जो निविदा में दी गयी है) के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जायेगा ।

13. सुरक्षागार्ड/गनमेन के संबंध में निर्धारित दर से भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रथम पक्ष के द्वारा मांगे जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

14. द्वितीय पक्ष अपने द्वारा प्रदाय किये गये सुरक्षागार्ड/गनमेन को नियुक्ति पत्र जारी कर उसकी एक प्रति मय अर्हता प्रमाणों के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा ।

15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये सुरक्षागार्ड/गनमेन के आचरण एवं व्यवहार की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । द्वितीय पक्ष द्वारा सुरक्षागार्ड/गनमेन के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जानकारी एवं वांछित प्रमाणपत्र प्रथम पक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जावेगा।

16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये सुरक्षा गार्ड यदि अभद्र व्यवहार, अमर्यादित आचरण या अशोभनीय कृत्य में लिप्त पाये गये तो प्रथम पक्ष कानूनी कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा ।

17. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये सुरक्षागार्ड/गनमेन द्वितीय पक्ष के ही कर्मचारी रहेगें, उनके द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष के कर्मचारी होने अथवा प्रदत्त सेवा के विरूद्ध अन्य किसी प्रकार का लाभ संबंधी क्लेम किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होगा ।

18. श्रमायुक्त, म.प्र. द्वारा कुशल/अकुशल श्रमिक हेतु समय–समय पर घोषित न्यूनतम वेतन संबंधी निर्देशों का पालन करना द्वितीय पक्ष का वैधानिक दायित्व होगा।

19. किसी भी सक्षम शासकीय विभाग द्वारा निरीक्षण में सुरक्षा गार्ड को भुगतान के संबंध में अनियमितता पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित/अन्य वैधानिक कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा ।

20 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को श्रमायुक्त मध्यप्रदेश द्वारा अकुशल/कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दर, ईपीएफ। (नियोक्ता का अंशदान) ईएसआईसी का भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त शासकीय दरों में समय–समय पर होने वाले संशोधनों को शामिल कर प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जावेगा ।

21 द्वितीय पक्ष को किये जा रहे भुगतान में से प्रथम पक्ष द्वारा आयकर का कटोत्रा किया जावेगा ।

22 अनुबंध अवधि में दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी ।

23 अनुबंध अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा सुरक्षागार्ड/गनमेन बदले जाने की स्थिति में बैंक को पहले से सूचित करना अनिवार्य होगा ।

24 द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने की दशा में 7 दिवस की सूचना उपरांत प्रदत्त की जा रही सेवाएं प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त की जा सकेंगी तथा अन्य एजेंसी से सेवाएं प्राप्त करने में प्रथम पक्ष को हुई हानि की वसूली द्वितीय पक्ष को भुगतान हेतु देय राशि अथवा जमा अमानत राशि से की जावेगी ।

25. निविदादाता द्वारा बैंक को उपलब्ध कराये गये गार्ड्स को वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना होगा ।

26. बैंक, दो माह की लिखित सूचना के आधार पर अनुबंध निरस्त कर सकता है। अनुबंध निरस्ती की सूचना अनुबंध में दर्शित पते दी जावेगी, जिसे विधिवत सूचित किया जाना मान्य किया जावेगा ।

27. किसी भी सुरक्षागार्ड/गनमैन से दोहरी ड्यूटी (डबल ड्यूटी) सामान्यतः नहीं कराई जावेगी । विशेष परिस्थितियों में डबल ड्यूटी कराई जा सकेगी परन्तु उक्त डबल ड्यूटी एक माह में 12 दिवस से अधिक नहीं होना चाहिये । साथ ही डबल ड्यूटी निरंतर 5 दिवसों से अधिक नहीं कर सकेगा ।

28. बैंक द्वारा सुरक्षागार्ड/गनमेन की उपस्थिति का सत्यापन कराया जायेगा एवं सत्यापन के आधार पर संस्था के देयक का भुगतान किया जायेगा ।

29. सभी सुरक्षागार्ड/गनमेन का वर्ष में एक बार मेडीकल चेकअप सेवा प्रदाता के व्यय पर कराना आवश्यक होगा । साथ ही सुरक्षागार्ड/गनमेन का पुलिस सत्यापन भी कराया जाना आवश्यक होगा । मेडीकल चेकअप एवं पुलिस सत्यापन संबंधी मूल प्रमाणपत्र वर्ष के प्रारंभ में प्रस्तुत करनी होगी ।

30. इस अनुबंध में उल्लिखित कंडिका की व्याख्या का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।

31. इस अनुबंध एवं कार्य से संबंधित उत्पन्न किसी भी विवाद का निराकरण पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा जो उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

32. यह कि यह अनुबंध प्रथमतः अनुबंध अवधि की दिनांक से आगामी दो वर्ष तक वैध होगा । इस समयावधि में दोनों पक्षों की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी । वृद्धित अवधि के लिए पृथक से अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा ।

33 देयक प्रस्तुत करते समय पिछले माह के ईपीएफ, ईएसआईसी भुगतान संबंधी चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा । अन्यथा की स्थिति में भुगतान नहीं किया जावेगा

साक्षियों के नाम एवं हस्ताक्षर :

1.प्रथम पक्ष	2.द्वितीय पक्ष
गवाह	गवाह
1...........................	1.................................
2.............................	2......................................

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

दर निविदा

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय
टी0 टी0 नगर न्यू मार्केट
भोपाल (मध्यप्रदेश)

पिन–462003

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित मुख्यालय भोपाल

सुरक्षा गार्ड/गनमेन के दरों का विवरण

1.बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रू...........(शब्दो में .... प्रतिशत) प्रतिशत के सर्विस चार्ज पर सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन की सेवायें मेरे द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

2 सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन को देय वेतन श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर संशोधित दर के अनुरूप बैंक द्वारा किया जायेगा । सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन के बेसिक वेजेज के पश्चात् नियमानुसार ईपीएफ कन्ट्रब्यूशन, ईएसआईसी एवं जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

3 सुरक्षा प्रदाता एजेंसी को प्राप्त होने वाले सर्विस चार्ज की दर किसी भी स्थिति में शून्य नही होना चाहिये अन्यथा निविदा निरस्ती योग्य होगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर